



दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

No.P(R)524/P/Fixation/Vol.V

प्रधान कार्यालय/ Headquarters Office
कार्मिक शाखा/ Personnel Branch
चेन्नै/Chennai - 600 003
दि./ Dated: 14-05-2014

आर बी ई सं/RBE No. 30 / 2014

पी बी सी सं/ PBC No: 50 / 2014


All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs /
DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Workshops / other Units, etc.,
(As per mailing list -'A')

विषय/Sub: Fixation of Pay in the revised pay structure for running
staff promoted as on 01-01-2006 or thereafter.

A copy of Railway Board's letter No.E(P&A)II/2010/RS-27 dated 21-03-2014 (RBE No. 30/2014) on the above subject is enclosed for information, guidance and necessary action.

Railway Board's letter dt. 04-09-2008 (RBE No. 103/2008), 30-06-2004 (RBE No. 140 / 2004) and 25-09-2008 referred therein have been circulated under PBC No. 124/2008, PBC No. 194/2004 and PBC No. 151/2008 respectively.

संलग्न/Encl: as above


(V.SRINIVASAN)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/नियम
Senior Personnel Officer/Rules
कृते मुख्य कार्मिक अधिकारी
For Chief Personnel Officer

प्रतिलिपि/Copy to : The Genl Secy / SRMU
The Genl Secy / AISCSTREA
The Genl Secy / AIOBCREA

The Genl Secy / NFIR

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD)

RBE No. 30/2014

No. E(P&A)II/2010/RS-27

The General Managers,
All Indian Railways.



New Dated : 21.03.2014

Sub : Fixation of Pay in the revised pay structure for running staff promoted as on 01.01.2006 or thereafter.

1. Eastern Railway had raised a query on the matter of fixation of pay thus :

"This Railway is facing difficulty while implementing Rule-11 of Board's RBE No. 103/2008 for those running staff who were promoted from non-running general category to running category on or after 01.01.2006 and subsequently elected to switch over to VIth CPC with effect from the date of their promotion/up-gradation etc. Clarification from Board is sought for whether 30% pay element will be taken into account while calculating the Dearness Pay applicable at pre-revised scale (i.e. Vth CPC) on the date of promotion and Dearness Allowance as on 01.01.2006 as per Board's RBE No. 140/2004."

2. The matter was deliberated upon in consultation with Finance Directorate of Railway Board and it was observed that as per Rule 5 of RS(RP) Rules, 2008 a new provision of option was introduced for the implementation of 6th CPC pay structure. As per this option a person promoted to a post during the period from date of effect of revised pay structure to date of notification may switch over to the revised pay structure after effecting the promotion.

2.1 Thus, an employee getting promoted from a stationary post to the Running post as Guard, during above period, was eligible to opt to continue in pre-revised pay structure until his promotion as Guard and switch over to revised pay structure after effecting such promotion.

2.2 In such an eventuality he would lose his arrears on account of 6th CPC till such date of option/switching over. Further, his next increment will also be released on subsequent 1st July only if he completes six months qualifying service in the revised pay structure prior to the 1st July of relevant year.

Contd.....2/-

-: 2 :-

3. Since such employees, as given in the situation quoted by E. Railway above were holding running posts at the time of switching over to the revised pay structure, their pay fixation should be as per methodology applicable to the running staff. In this connection, clarification 3 of Board's letter No. PCVL/2008/URSRP/1 dated 25.09.2008, that fitment tables may be used in the cases when employee switches over to revised pay structure from a date subsequent to 1.1.2006, is also relevant. Accordingly, fitment table as applicable to the running staff may be used in such cases.
4. This disposes of E.Rly's D.O. letter No. E/SPC/2008/Refd. dt. April 22, 2010.
5. This issues with the concurrence of the Finance Directorate.
6. Please acknowledge receipt.


(K. Shankar)
Director/E(P&A),
Railway Board.

भारत सरकार (GOVERNMENT OF INDIA)
रेल मंत्रालय (MINISTRY OF RAILWAYS)
रेलवे बोर्ड (RAILWAY BOARD)

आर बी ई सं.30/2014

सं. ई(पीरंडए)-II/2010/आर एस-27

नई दिल्ली, दिनांक 21.03.2014

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें.

विषय : 01.01.2006 को और उसके बाद पदोन्नत होने वाले रनिंग कर्मचारियों का संशोधित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण.

1. पूर्व रेलवे ने वेतन के निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित जानकारी मांगी है:

“यह रेलवे उन रनिंग कर्मचारियों के संबंध में बोर्ड के आरबीई सं.103/2008 के नियम-11 को कार्यान्वित करने में कठिनाई महसूस कर रही है जो 01.01.2006 को अथवा उसके बाद नॉन-रनिंग सामान्य कोटि से रनिंग कोटि में पदोन्नत हुए हों और जिन्होंने बाद में अपनी पदोन्नति/अपग्रेडेशन आदि की तारीख से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार संशोधित वेतन संरचना को अपनाने का विकल्प दिया हो. इस संबंध में बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि क्या बोर्ड के आरबीई सं.140/2004 के अनुसार पदोन्नति की तारीख को संशोधन पूर्व के वेतनमान (अर्थात् पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग) में लागू महंगाई वेतन के 30% वेतन और 01.01.2006 की स्थिति के अनुसार महंगाई भत्ते को हिसाब में लिया जाएगा अथवा नहीं.”

2. रेलवे बोर्ड के वित्त निदेशालय के परामर्श से इस बारे में विचार किया गया और यह देखा गया है कि आर एस (आरपी) नियम, 2008 के नियम 5 के अनुसार छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की वेतन संरचना के कार्यान्वयन के लिए विकल्प का एक नया प्रावधान शामिल किया गया है. इस विकल्प के अनुसार संशोधित वेतन संरचना के प्रभावी होने की तारीख से अधिसूचना की तारीख तक की अवधि के दौरान पदोन्नत होने वाला कोई व्यक्ति पदोन्नति लेने के बाद संशोधित वेतन संरचना को अपना सकता है.

2.1 इस प्रकार, उक्त अवधि के दौरान किसी कर्मचारी की किसी एक स्थल पर स्थित पद (Stationary post) से गार्ड के रूप में रनिंग पद पर पदोन्नति होने पर वह गार्ड के रूप में पदोन्नत होने तक संशोधन पूर्व के वेतन संरचना में बने रहने का विकल्प दे सकता है और इस प्रकार की पदोन्नति प्राप्त करने के बाद संशोधित वेतन संरचना को अपना सकता है.

2.2 ऐसी स्थिति में उसे इस प्रकार का विकल्प देने/नई वेतन संरचना को अपनाने की तारीख तक का छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्राप्त हुई बकाया राशि को छोड़ना

...2/-


होगा. इसके अलावा, यदि वह संगत वर्ष की 1 जुलाई से पहले संशोधित वेतन संरचना में 6 माह की अर्हक सेवा पूरी कर लेता है तो उसकी अगली वेतन वृद्धि अगली 1 जुलाई को रिलीज की जाएगी.

3. चूंकि ऐसे कर्मचारी ऐसी स्थिति में जैसाकि ऊपर पूर्व रेलवे द्वारा उल्लेख किया गया है, संशोधित वेतन संरचना को अपनाते समय रनिंग पद पर थे, इसलिए उनके वेतन के निर्धारण के लिए वही पद्धति अपनाई जानी चाहिए जो रनिंग कर्मचारियों के मामले में अपनाई जाती है. इस संबंध में बोर्ड के दिनांक 25.09.2008 के पत्र सं. पीसीV/2008/आरएसआरपी/1 का स्पष्टीकरण 3 कि ऐसे मामले में जब कोई कर्मचारी 1.1.2006 के बाद किसी तारीख से संशोधित वेतन संरचना को अपनाए तो इसके लिए फिटमेंट तालिका का इस्तेमाल किया जाए, भी प्रासंगिक है. तदनुसार, ऐसे मामले में रनिंग कर्मचारियों के लिए लागू फिटमेंट तालिका का इस्तेमाल किया जाए.

4. इससे पूर्व रेलवे के दिनांक 22 अप्रैल, 2010 के अर्द्ध सरकारी पत्र सं.ई/एसपीसी/2008/रेफड. का निषटान हो जाता है.

5. इसे वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

6. कृपया पावती दें.


(के. शंकर)

निदेशक, ई (पी एंड ए),
रेलवे बोर्ड